



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252683
CG-DL-E-07032024-252683

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 52]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2024

मामला संख्या: एडी (एए) -03/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पालीएथीलीन टेरेफथलेट रेजिन" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलनरोधी जांच।

1. फा. सं. 7/27/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित और वानकाई न्यू मेटेरियल्स कं. लि., या झेजियांग वानकाई न्यू मेटेरियल्स कं. लि. (जिसे आगे "वानकाई" अथवा "संबद्ध निर्यातक" भी कहा गया है) द्वारा उत्पादित "पालीएथीलीन टेरेफथलेट रेजिन" (जिसे यहां आगे "पीईटी रेजिन" अथवा "संबद्ध

वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(1ख) और नियमावली के नियम 29(2) के अनुसार, जिसमें पाटनरोधी शुल्क के अधीन किसी वस्तु को ऐसी कीमत पर या ऐसी स्थिति में भारत में आयातित किया जाता है जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का समामेलन समझा जाता है, इस प्रकार जिसे निष्प्रभावी किया जाता है या किया जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुनः आकलन के पश्चात पाटनरोधी शुल्क के रूप या आधार और/या उसकी राशि में बदलाव की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितवद्ध पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए पर्याप्त साक्ष्य सहित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा अपेक्षित है कि कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को शुल्क के समामेलन के कारण प्रभावी किया गया है या किया जा सकता है

क. पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण से पीईटी रेजिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच 1 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। दिनांक 28 दिसंबर 2020 के अंतिम जांच परिणाम फाइल संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर के माध्यम से प्राधिकारी ने 5 वर्षों की अवधि के लिए पीईटी रेजिन के आयातों पर पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश की थी। इन शुल्कों को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लागू पाटनरोधी शुल्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। उक्त शुल्क 26 मार्च 2026 को समाप्त होने के लिए निर्धारित है। संबद्ध निर्यातक वंकाई द्वारा निर्यात 15.54 अमेरिकी डॉलर प्रति एम टी के शुल्क के अधीन है जबकि अन्य निर्यातकों पर लागू शुल्क 60.92 अमेरिकी डॉलर से 200.66 अमेरिकी डॉलर प्रति एम टी के बीच है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, का दायरा "वर्जिन पॉलीथीन टेरैफ्थेलेट (पीईटी) रेजिन" है जिसे पॉलीथीन टेरैफ्थेलेट रेजिन" के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जिसमें 0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की अंतरनिहित विस्कोसिटी होती है। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा मूल जांच में परिभाषित है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में रीसाइकल्ड पीईटी रेजिन शामिल नहीं है।
5. पीईटी रेजिन का प्रयोग प्रीफॉर्म के विनिर्माण में होता है, जिसे बाद में मिनरल वॉटर, कार्बोनेटेड साफ्ट पेय, खाद्य तेल, भेषज उत्पादों आदि के भंडारण के लिए पीईटी बोतलों और जारों में परिवर्तित किया जाता है।
6. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है और आगे, उपशीर्षक 3907 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ मदों 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 और 3907 69 90 के अधीन आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

7. मूल जांच से पता चला था कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई खास ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। इन दोनों को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय पाया गया था। अतः, वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वंकाई से आयातित संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घ. आवेदक

8. समीक्षा की शुरुआत के लिए आवेदन आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में समान वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् जेबीएफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चिरिपाल पॉलीफिल्मस लिमिटेड भी हैं। आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 95% हिस्सा है।

ड. समीक्षा का दायरा

9. वर्तमान समीक्षा वैंकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड या झेजियांग वैंकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू पाटनरोधी शुल्क के केवल समामेलन से संबंधित है। इस समीक्षा में वैंकाई द्वारा सीधे या निर्यातकों के जरिए निर्यातित वस्तु शामिल है।

च. समामेलन पुनः जांच के लिए आधार

10. आवेदकों ने दावा किया है कि वैंकाई की निर्यात कीमत में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद उत्पादन लागत में किसी अनुरूप बदलाव के बिना कमी आई है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना में दर्शाया गया है कि यद्यपि, कच्ची सामग्री की लागत और उत्पादन की समग्र लागत में गिरावट आई है, तथापि, वैंकाई की निर्यात कीमत में आई गिरावट काफी अधिक है। इस संबंध में, आवेदकों ने ट्रेड मैप में यथा प्रकाशित और उनकी अपनी उत्पादन लागत के अनुसार प्रमुख कच्ची सामग्रियों, पीटीए और एमईजी की कीमतों भरोसा किया है।
11. आवेदकों ने दावा किया है कि चूंकि तीसरे देशों को समान वस्तु के निर्यातों की निर्यातक-वार कीमत उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया गया है। किसी भी तरह पाटनरोधी नियमावली के नियम 29(1) के प्रावधानों में यह अपेक्षित है कि निर्यात कीमत में गिरावट की तुलना उत्पादन लागत में बदलाव या तीसरे देशों को निर्यात कीमत या भारत में वस्तु के पुनः बिक्री कीमत में बदलाव से की जाएगी। अतः यह आवश्यक नहीं है कि सभी तीन समामेलन के संबंध में निर्यात कीमत में गिरावट को सिद्ध किया जाए।
12. आवेदकों ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाते हुए प्रथम दृष्टया सूचना भी दी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सूचना चीन से उत्पादन की लागत में समुचित गिरावट के बिना आयात कीमत में गिरावट को दर्शाती है जिससे पाटनरोधी शुल्क के समामेलन और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में परिणामी वृद्धि का पता चलता है।
13. नियमावली के नियम 29(3) के प्रावधानों के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर समामेलनरोधी समीक्षा की शुरुआत की मांग करते हुए आवेदन कर सकता है। उक्त उप-नियम के परंतुक में प्रावधान है कि दिए गए मामले में विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर लिखित में दर्ज कारणों से प्राधिकारी दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद ऐसी जांच शुरुआत के आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं।
14. आवेदकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि शुल्क लागू होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद आवेदन दायर करने का उचित कारण मौजूद है। आवेदकों ने ध्यान दिलाया है कि उत्पादक वैंकाई ने हाल की अवधि में अपनी क्षमताओं में काफी वृद्धि की है, और इसलिए, बनाई गई नई क्षमताओं के उपयोग के लिए शुल्क का समामेलन किया है। इसके परिणामस्वरूप भारत को वैंकाई के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवेदकों द्वारा बताए गए औचित्य के मद्देनजर, प्राधिकारी ने शुल्क लागू होने से की अवधि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदन पर प्रथम दृष्टया विचार करना उचित पाया है।

छ. समामेलन की अवधि

15. आवेदन को जनवरी-जून 2023 की अवधि को वह अवधि मानते हुए दायर किया गया था, जिसमें समामेलन हुआ है। आवेदक ने 23 सितंबर तक की अवधि का डेटा भी उपलब्ध कराया है। अतः वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ समामेलन की अवधि 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 (9 महीने) की मानी गई है। प्राधिकारी इस अवधि में कीमतों की तुलना मूल जांच की अवधि की कीमतों के साथ करेंगे।

ज. समामेलनरोधी समीक्षा की शुरुआत

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और चीन जन.गण. से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समामेलन से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी, एतद्वारा, चीन से उत्पादक/ निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी और प्रभाव को निर्धारित करने और अधिनियम की धारा 9क (1ख) और नियमावली के नियम 30 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की राशि और रूप में बदलाव की सिफारिश करने के लिए समामेलनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

17. वर्तमान समीक्षा का दायरा पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की केवल पुनः गणना तक सीमित है। वर्तमान समीक्षा में नियमावली नियम 29, 30 और 31 के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ब. सूचना प्रस्तुत करना

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जानी चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
19. संबद्ध निर्यातक, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि,

आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
31. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi the 4th March, 2024

Case No. – AD (AA) – 03/2023

Subject: Anti-absorption investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Polyethylene Terephthalate Resin' originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 7/27/2023-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Anti-Dumping Rules”), IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicants”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of polyethylene terephthalate resin (hereinafter referred to as “PET Resin” or the “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”) and produced by Wankai New Materials Co., Ltd. or Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Wankai” or the “subject exporter”).
2. In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29 (2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of existing anti-dumping duty, which is thereby or may be rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the duty and/or the quantum of anti-

dumping duty after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application with sufficient evidence, made by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

A. Background

3. The anti-dumping investigation concerning imports of PET Resin from the China PR was initiated vide notification dated 1st October 2019. Vide final findings F No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020, the Authority recommended the imposition of anti-dumping measures on imports of PET Resin for a period of 5 years. Such duties were notified by the Ministry of Finance vide Notification No. 18/2021-Customs (ADD) dated 27th March 2021. The said duties are set to expire on 26th March 2026. The exports by the subject exporter, Wankai, were subject to a duty of USD 15.54 per MT, while the duties applicable to other exporters ranged from USD 60.92 to USD 200.66 per MT.

B. Product under consideration.

4. The scope of the product under consideration attracting the anti-dumping duties is “virgin polyethene terephthalate (PET) resin”, defined as “polyethene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher”. The scope of the product under consideration for the purpose of the present review remains the same as defined in the original investigation. The scope of the product under consideration does not include recycled PET Resin.
5. PET Resin is used for the manufacturing of preforms, which are then converted into PET bottles and jars for the storage of mineral water, carbonated soft drinks, edible oils, pharmaceutical products etc.
6. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and further, classified under subheading 3907. The product under consideration has been imported under the tariff items 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 and 3907 69 90. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

C. Like article

7. The original investigation revealed that there are no known significant differences in the goods produced by the applicants and those exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two were found to be technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present review, the subject goods produced by the applicants are being treated as “like article” to the subject goods imported from Wankai.

D. Applicants

8. The application for initiation of the review has been filed by IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited. The applicants have claimed that there are two other producers of the like article in India, namely JBF Industries Limited and Chiripal Polyfilms Limited. The applicants account for 95% of the total domestic production.

E. Scope of the review

9. The present review is in respect of absorption of anti-dumping duty in force by Wankai New Materials Co., Ltd. or Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. The review covers goods exported by Wankai directly, or through exporters.

F. Grounds for an absorption reinvestigation

10. The applicants have claimed that the export price for Wankai has decreased post imposition of anti-dumping duty, without there being a commensurate change in the cost of production. The information provided by the applicants shows that while the raw material cost and overall cost of production have also declined, the decline in the export price of Wankai is much higher. In this regard, the applicants have relied upon the prices of the key raw materials, PTA and MEG, as published on the Trade Map, and their own cost of production.
11. The applicants have claimed that since exporter-wise prices of exports of the like article to third countries are not available, the same has not been relied upon. In any case, the provisions of Rule 29(1) of the Anti-Dumping Rules require the decline in export price to be compared to a change in the cost of production or export price to third countries or the resale price of the article in India. Therefore, it is not necessary that the export price decline in relation to all three for absorption to be established.
12. The applicants have also given *prima facie* information showing an increase in the dumping margin and injury margin. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows a decline in the import price without a

commensurate decline in the cost of production from China showing absorption of anti-dumping duties, and a consequent increase in the dumping margin and injury margin.

13. As per the provisions of Rule 29(3) of the Rules, any interested party may file an application seeking initiation of anti-absorption review within two years from the date of imposition of definitive anti-dumping duty. The proviso to the sub-rule provides that in view of special circumstances in a given case, for reasons to be recorded in writing, the Designated Authority may accept an application for such initiation after the expiry of the said period of two years.
14. The applicants have also explained that good cause exists for the application being filed after the expiry of two years from the date of imposition of duty. The applicants have highlighted that the producer Wankai has increased its capacities significantly in the recent period, and therefore, absorbed the duties to utilize the new capacities created. As a result of the same, there is a significant increase in exports of Wankai to India. In view of the justification adduced by the applicants, the Authority has *prima facie* found it appropriate to consider the application after the expiry of the period of two years from the imposition of duty.

G. Period of absorption

15. The application was filed considering January-June 2023 as the period in which the absorption has taken place. The applicant has further provided the data for period up to September 23. The absorption period for the purpose of the present review has been considered as 1st January 2023 to 30th September 2023 (9 months). The Authority shall compare the prices in such period to the prices in the period of investigation of the original investigation.

H. Initiation of anti-absorption review

16. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having satisfied itself based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning absorption of the anti-dumping duties imposed on the imports from China PR, the Authority, hereby, initiates an anti-absorption investigation to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration by the producer/exporter from China PR and to recommend modification of the quantum or form of the anti-dumping duty, in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Rules.

I. Procedure

17. The scope of the present review is limited only to the re-computation of dumping margin and injury margin. The provisions as stipulated under Rules 29, 30 and 31 of the Rules shall be followed in the present review. The provisions of Rule 6 shall apply *mutatis mutandis*.

J. Submission of information

18. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
19. The subject exporter, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
22. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

Time limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within thirty days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

K. Submission on information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
26. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

A. Inspection of Public File

32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

B. Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority